डाक / ई-मेल द्वारा

एमआरओ/डीओएस/डीएके/2024/03857

11 दिसंबर, 2024

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आवास वित्त कंपनियाँ (1000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली)

महोदया/महोदय,

बकाया ऋण खातों की मासिक रिपोर्टिंग पर परामर्श

राष्ट्रीय आवास बैंक, अपने पर्यवेक्षी कार्यों के एक हिस्से के रूप में, आवास वित्त कंपनियों से समय-समय पर और आवश्यकतानुसार डेटा एकत्र करता है।

2. निगरानी और देखरेख को बेहतर बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आवास वित्त कंपनियां महीने के अंतिम दिन तक, बकाया खातों की सूची राष्ट्रीय आवास बैंक को उपलब्ध कराएगी।
3. अब से, आवास वित्त कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे बकाया खातों के डेटा को 4 अलग-अलग बकेटों में जमा करें, अर्थात 1-30, 31-60, 61-90, और >90 दिन डीपीडी; यह डेटा हर महीने कुल और वैयक्तिक दोनों आधारों पर जमा किया जाना चाहिए, और अगले महीने की 2 तारीख तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।
4. इस परामर्श के प्रावधान 01 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे और पहली ऐसी प्रस्तुति दिसंबर 2024 के महीने के लिए की जाएगी।

भवदीय,

(सुशांत के. पाढ़ी)

महाप्रबंधक

पर्यवेक्षण विभाग